

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/५७०३-०५/२०१८-१९ दिनांक 21/5/2018

प्रबन्धक,

नेशनल पब्लिक स्कूल गोरबारिक सुलतानपुर  
विकास क्षेत्र-दूबेपुर, जनपद-सुलतानपुर।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति-निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर आपके विद्यालय को दिनांक 19.05.2018 से दिनांक 18.05.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 (अग्रणी माध्यम) तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है--

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारीकरण नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा, और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सीसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कूलिंग प्रांक्तियां के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का संबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा--
  - (i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता श्रम/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के माप की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
  - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया-कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित माध्यमों को आधार पर पालन का पालन करेगा।

प्रधानाचार्य  
नेशनल पब्लिक स्कूल  
गोरबारिक, सुलतानपुर

सलीम अहमद  
Manager  
National Public School,  
Gorabarik, Sultanpur




- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र-दूबेपुर द्वारा रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-	6 बिस्वा	कुल निर्मित क्षेत्रफल-	1.5 बिस्वा
कीड़ास्थल का क्षेत्रफल-	4.5 बिस्वा	कक्षा की संख्या-	13
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिये कक्ष-			उपलब्ध
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-			उपलब्ध
मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई-			उपलब्ध
पेयजल सुविधा-	उपलब्ध	बाधारहित पहुच-	हां
अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-			उपलब्ध

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
- 10- विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1980(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राटित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगत या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को शाब्दित मान्यता कोड संख्यांक- 65/2018 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाते।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विभाग द्वारा दिये जाने वाले सू-जायरा प्रपत्र पर सूचना भरकर समयान्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- 18- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

  
(कोस्तुम कुमार सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
दूबेपुर, सुल्तानपुर।

पृष्ठ 0 पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), फंजाबाद मण्डल, फंजाबाद।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सुल्तानपुर।

शलीम अहमद

Manager

National Public School  
Gorabari, Sultanpur

  
प्रकाश चंद्रा  
नेशनल पब्लिक स्कूल  
गोराबारी, सुल्तानपुर